प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

(सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2011

विषय:– वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उ0प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प सं0–वे0आ0–2–1313/दस–2008–59(एम)/2008 दिनांक 08–12–2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

2– राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों का दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षण जस्टिस ई0 पद्मनामन समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जा चुका है। न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन की व्यवस्था नहीं है। अतः राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से लागू की गयी व्यवस्था सीधे न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं हो सकी। परन्तु जस्टिस ई. पद्मनाभन समिति की संस्तुतियों पर राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता राज्य कर्मचारियों की भाँति दिये जाने वाले की व्यवस्था नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–2123/दो–4–2010–45 (12)/91–टी0सी0–6 दिनांक 16 अक्टूबर, 2010 द्वारा की गयी है। मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु सिविल जज जूनियर डिवीजन वेतनमान रू0 27700–44770 के लिए ग्रेड वेतन 5400/– के समान माना गया है। इसी प्रकार अन्य वेतनमानों को ग्रेड वेतन रू0 5400/– से उच्च अर्थात 6600/–, 7600/–, 8700/–, 8900/– 10000/– तथा 12,000/– के समकक्ष मानते हुए मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गई है।

–2/––––

2— मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मकान किराया भत्ता की दरो के निर्धारण हेतु अपनायी गई समकक्षता के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के लिए निम्नानुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि निर्धारण की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	27700—44770 से उच्च वेतनमान के पदों पर	400	120	280	4,00,000=00
2	27700—44770	200	60	140	2,00,000=00

3— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायगा:—

(1) उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

(2) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(3) वेतनमानो की संरचना का उक्त वर्गीकरण, मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जानें वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गो के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) उ0प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित, सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

संख्या—एस0ई0—यू0ओ0-16(1)/दस—11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— श्री राज्यपाल, सचिवालय।
2— विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय।
3— प्रमुख सचिव, न्याय/नियुक्ति विभाग।
4— निदेशक, कोषागार व लेखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप, स्टेशन रोड, लखनऊ।
6— निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

—3/———

7— निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
8— प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9— पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0/इरला चेक/भुगतान व लेखा, नई दिल्ली।
11— समस्त जनपद न्यायधीश/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12— एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली।
13— विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा0 उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक) 21 साउथ एवेन्यू उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली।
14— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15— नियुक्ति अनुभाग—4/न्याय अनुभाग—1
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र मित्रा)
उप सचिव।